

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संस्कृत एवं संस्कृत संस्कृत-जीवाजी विश्वविद्यालय का नाम ही ही है। यह है कि दोनों नाम परिकल्पित की गयी है। संस्कृत शिक्षण पर यदि पूर्व में यह संस्कृत हुआ है तो यह संस्कृत एवं शिक्षण संस्कृत शिक्षण एवं शिक्षण शिक्षण है।



ग्राम : कुलसचिव  
दूरभाष : (0751) 2441826  
(0751) 2442824  
फैक्स : (0751) 2341769

**प्रेषक :**  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
उपसंचालक/सम्बद्धता: 2012/5904

दिनांक: 24/01/13

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध आर.एस.जी. कॉलेज, ग्वालियर (0751-2445920) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संशोधित पोस्ट बैचिक बी.एस-जी. (नर्सिंग), बी.एस-सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये मातृकीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयन 27(10) के अन्तर्गत निर्वाहकार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) डी.एन. गोस्वामी, अध्यक्षता, महाविद्यालयीय विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442828)
- (2) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्या, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
- (3) प्रो. ए.के. हल्दे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचयन 27(10) के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण पत्र, भवन, कक्षा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आवृत्ति/तथा पिछले सत्र में टी नई शर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान अंकित करें।

समाप्ति समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 को पर क्रमांक 60 (अ.अ.2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्धवर्ष जमा कराकर नवीन समिति गठित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचयन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

## प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आशुक्त तथा शिक्षा, सतपुड़ा नगर, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)